

कार्यालय—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :—शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2020-21/

दिनांक : 01.12.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,

- विषय :-** उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाबत।
- प्रसंग :-** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(4)(31) उ.मै.छा./सान्यअवि/ 2020-21/55691 दिनांक 26.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने प्रासंगिक पत्र द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थी हित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि	नवीन निर्धारित अंतिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर 2020	31 जनवरी 2021

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship पर देखी जा सकती है। साथ ही विभागीय वेबसाइट एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष नं. 18001806127 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शेष शर्तें मूल विज्ञप्ति अनुसार रहेंगी।

संलग्न:- User Manual (Students Application & School level) की प्रति।

हस्ताक्षर
1.12.2020
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :—शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2020-21/

दिनांक : 01.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

हस्ताक्षर
1.12.2020
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लार्डन रेल्वे क्रॉसिंग के पारा, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(31)उ.म.छा / सान्याअवि / 2020-21 / 55691

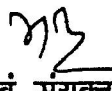
दिनांक 26-11-2020

आदेश

महामारी कोविड-19 बीमारी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के भौतिक संचालन, विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने एवं शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं होने के कारण विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 48300 दिनांक 30.09.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	30 नवम्बर 2020	31 जनवरी 2021

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव